

पंजीयन क्रमांक 1734/18

दिनांक 26.03.2018

डिपॉजिट नं. 520

दिनांक 26.03.2018

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री महं महकाओं संस्थान, जैसलमेर
ग्राम सदराऊ पोस्ट नेहडाई
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूँकि श्री उरमान खो (अध्यक्ष) न्यासी (ट्रस्टी)

गौशाला श्री महं महकाओं संस्थान, जैसलमेर ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्ट्रार) करली गई है।

आज दिनांक दसवीं माह भाद्र वर्ष दो हजार अठारह



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर